**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰**

**प्रकरण संख्या 27 / 2019 (राजसमन्द डिक्री)**

1. मोहनलाल पिता रामा जी जाट, निवासी आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सुखलाल पिता रामा जी जाट, निवासी आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. बद्रीलाल पिता रामा जी जाट, निवासी आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती इन्द्रा पत्नी सुखलाल जी जाट, निवासी आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

**बनाम**

1. श्रीमती धापू बाई पत्नी स्वर्गीय डालू जी जाट, निवासी आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती मांगी बाई पिता स्वर्गीय डालू जी जाट, निवासी आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. देवीलाल पिता किशनलाल जी जाट, नाबालिग, निवासी आगरिया जरिये संरक्षक माता श्रीमती बाली बाई पत्नी किशनलाल जी जाट, निवासी आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती पपुडी पिता स्वर्गीय डालू जी जाट, निवासी आगरिया, हाल निवासी घोसुण्डी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती मीना पिता स्वर्गीय डालू जी जाट, निवासी आगरिया, हाल निवासी घोसुण्डी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती अणछी पिता स्वर्गीय डालू जी जाट, निवासी आगरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 18.07.2019 प्र.सं. 59/2017

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री गिरजा शंकर मेहता अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 7

———::———

**निर्णय दिनांक 30–12–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात कुल किता 17 रकबा 2.4250 हैक्टर भूमि ग्राम आगरिया में स्थित होकर उसमें वादी का 10975/24250 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1150/24250 वां हिस्सा है। उक्त आराजी में से आराजी नंबर 1937 नहर क्षेत्र 0.0600 व 24040 नहर क्षेत्र रकबा 0.0700 हैक्टर का विभाजन नहीं चाहा गया है। अतः उपरोक्त भूमियों का उपरोक्तानुसार विभाजन कराया जाकर वादी को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14–03–2018 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 18–07–2019 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24–07–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया विभाजन रिपोर्ट अपीलान्टगण को बिना सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गयी है, जिससे अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि फर्द बंटवाडे पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि फर्द बंटवाड़ा उनकी अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। तद्नुसार फर्द बंटवाडे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18–07–2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में फर्द बंटवाडा दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार किया जाकर तथा उस पर पक्षकारान की यदि कोई आपत्तियां हैं तो उस पर पक्षकारान को विधिवत सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 02–03–2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

**चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य** बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **आमेट** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....22**.....माह.....**07**.....**2003**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**.10**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.22**.....माह.....**.10**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.06 12:34:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: